

SAI COLLEGE

(SAI MAHAVIDYALAYA)

Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg & Under Section 2 (f) of the UGC Act

Ref. No.

Date:

POLICY DOCUMENT GRIEVANCE REDRESSAL CELL & CONSTITUTION OF OTHER COMMITTEES / CELLS UNDER GRIEVANCE REDRESSAL CELL

College initially had one Grievance Redressal Cell which looked after the grievances / complaints of categories including grievances related to internal / external assessment , internal complaints of all types, Ragging related grievances and grievances related to sexual harassment.

As per the guidelines of UGC and affiliating university the work done by the Grievance Redressal Cell was reformulated and under GRC the following four different Cells/Committees are functioning

- Internal / External Assessment Grievance Redressal Cell
- Internal Complaint Redressal Committee
- Anti Ragging Committee
- Women Cell

INTERNAL / EXTERNAL ASSESSMENT GRIEVANCE REDRESSAL CELL

Internal / External Assessment Grievance Redressal Cell works under the Grievance Redressal and looks after all the grievances related to internal and external assessment. Committee looks into the fact that any grievances received from the students in respect to the internal assessment are addressed by the concerned teachers and timely redressal of the same is done. Committee also looks into that grievances related to the external assessment are forwarded to the university timely and that concerned students are updated with the redressal done by the university as soon as the informed in received from the university.

INTERNAL COMPLAINT REDRESSAL COMMITTEE

Internal Complaint Redressal Committee in the college works under Grievance Redressal Cell and looks after any complaint received related to sexual harassment and molestation for both female and male students and staff. The Committee works on zero tolerance on any such complaints and strictly follows the guidelines of Vishakha Committee and rules and regulation framed by other statutory bodies.. Committee conducts regular meetings and students have also been involved in the structure of the committee.

STREET-69, SECTOR-6, BHILAI, CHHATTISGARH - 490006

Tel.: 9630301027, 7024886996, Email: director@saicollege.inPRINCIPAL



Ref. No.

SAI COLLEGE

(SAI MAHAVIDYALAYA)

Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg & Under Section 2 (f) of the UGC Act

Date:

ANTI RAGGING COMMITTEE

Anti Ragging Committee also works under the Grievance Redressal Cell and takes all necessary steps as per the statutory bodies guidelines to ensure that there are strictly no cases of Ragging in and around the premises. The committee ensures that guidelines laid down by UGC and university in this regard are strictly followed and students are made aware of the contact details of committee members and awareness of the policy of college on zero tolerance on ragging cases is publicized among students.

WOMEN CELL

Women Cell works under GRC and works on conducting various awareness programmes for women both students and staff in areas of health, hygiene, security and other areas. Women Cell organises events and fucntions on various occasions like Internal Womens Day and spreads awareness through various cultural and other programmes.



SAI COLLEGE

(SAI MAHAVIDYALAYA)

Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg & Under Section 2 (f) of the UGC Act

Date:

IMPLEMENTATION OF GUIDELINES OF STATUTORY / REGULATORY BODIES

The College follows the guidelines and directives of UGC, Higher Education Department, Govt of Chhattisgarh and Hemchand Yadav University, Durgas well as policies framed by the institution for redressal of grievances / complaints of students.

Some of the initiatives have been taken by college on the basis of guidelines of statutory / regulatory bodies from time to time –

FOR ANTI RAGGING

- CCTV has been installed in all classrooms, all circulation areas and parking area to monitor.
- Prospectus carries strict instruction on zero tolerance towards ragging cases of any form.
- No Ragging Posters have been fixed at prominent places in the college premises highlighting the college being a Ragging Free Campus.
- Anti Ragging Committee has been formed and the contact details of the members of the committee are fixed at prominent places.
- · Website is regularly updated with the latest contact details and helplines
- Students are briefed in the induction program at the beginning of the session about the policy of the college on zero tolerance in ragging of any form.
- Undertaking from students and parents on "No Ragging of any form" and about zero tolerance of college in this regard is an integral part of admission form and is signed by every student and parent in the beginning of the session.

Sai Mahavidyalaya
Bhilai (C.G.)

STREET-69, SECTOR-6, BHILAI, CHHATTISGARH - 490006

Tel.: 9630301027, 7024886996, Email : director@saicollege.in www.saicollege.org



प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू सचिव

Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS

Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23239337, 23236288, Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

D.O. No. F. 1-15/2009(ARC) pt-III

25th July, 2017

Sub: Curbing the menace of ragging in higher educational institutions.

Dear Sir/Madam,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 8.5.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

Any violation of these regulations will be viewed seriously. If any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, it will attract punitive action against itself by the UGC.

You are requested to step up anti-ragging mechanism by way of adequate publicity through various mediums; constitution of anti-ragging committee and anti ragging squad, setting up of Anti Ragging Cell, installing CCTV cameras at vital points, Anti-Ragging workshops, updating all websites with nodal officers complete details, alarm bells etc. Regular interaction and counseling with the students, identification of trouble-triggers, mention of Anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets/brochures shall be ensured. Surprise inspection of hostels, students accommodation, canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behavior/incident shall be undertaken.

Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free) or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in. For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Aman Satya Kachroo Trust on following No. 09871170303, 09818400116 (only in case of emergency).

The UGC has got developed 4 short films and a documentary film to counsel students on ill effects of ragging. These films are uploaded on UGC website.

All Universities/Institutions are requested to show these films regularly to the students during orientation and other programmes. These movies are available on the following link, www.ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx.

With personal regards,

Yours sincerely,

(Jaspal/S. Sandhu)

The Vice-Chancellor Durg Vishwavidyalaya

Government Vasudev Vaman Patankar Girls' PG College Campus,

Raipur Naka,

Durg,

Chhattisgarh.



पी. के. टाकुर साँचव

P. K. Thakur IP&TAFS Secretary

A cordani C. Bron. or.



SPEED POST

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

यहातुरशाह जफ़र मार्ग, मई विल्ली-110002 Bahadur Shah Zalar Marg, New Dalhi-110002

> Ph.: 011-23236288/23239337 Fax : 011-2323 8858 email : pkthakur.ugc@nic.in

13th November, 2017

D.O.No.F.1-15/2009(ARC)pt.III

Dear Sir/Madam

The Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 08.05.2009 in Civil Appeal 887 of 2009 in the matter of University of Kerala versus Council, Principals', Colleges, Kerala and Others, constituted a four members committee of mental health and public health professionals with the following terms of reference.

- To ascertain the reasons and circumstances under which senior students resort to ragging;
- To ascertain the psychological impact of ragging on students;
- To assess and quantify the impact of ragging and indiscipline on the standard of education in an institution and relate it to the existing procedures used by MCI, UGC and other regulatory bodies to assess the suitability of an institution for recognition;
- To recommend urgent and mandatory mental health measures to be implemented in, and practiced by school, colleges, and all educational and vocational institutions, so as to curb ragging.

The four members committee has since submitted its Report entitled "Psychosocial Study of Ragging in Selected Educational Institutions in India" to the UGC. The report has been uploaded on the UGC website and may be accessed through the link http://www.ugc.ac.in/pdfnews/7661310 Psychosocial-Study-of-Ragging.pdf. The recommendations of the study are enclosed at Annexure-I.

The important recommendations which call for an urgent action on the part of the higher education institutions are as follows:

- (1) The higher education institutions should organize welcome and orientation programmes at the beginning of every academic session involving the students through which a clear message shall be sent regarding acceptable and unacceptable behaviours. This must include zero tolerance to ragging, sexual harassment and discrimination based on caste, religion, ethnicity etc.
- (2) Apart from installation of CCTV cameras, a proper surveillance mechanism consisting of a human system of wardens, mentors etc. shall be institutionalized, wherein they should be in regular touch with the students and promote their inclusion in activities such as games, sports and extra-curricular activities etc. in the hostels.
- (3) A clear Standard Operating Procedure shall be laid down for dealing with the cases of ragging. The students should be made aware of these rules as well as the procedure for filing a complaint, who to approach and their contact information and the procedure that will be followed by the HEI, with assurance of anonymity of complaint.

Contd.....

- (1) Psychosocial Support and counselling should be offered to victims as well as perpetrators so that the potential for cyclical abuse is neutralized. The engagement of counsellor's with the students could also be in the form of sensitization/training modules on power and inequalities, prejudice, discrimination, exclusion, harassment and violence, using creative methods such as drama, art, films, and other media.
- (2) The institutions must appreciate the huge diversities in the institution in terms of ethnicity, language, religion, sexuality etc. and effectively address the diversity related concerns by assessing and monitoring the social climate of institutions through regular surveys of students and staff.
- (3) The higher education institutions must provide an environment where the students learn the values of democratic, mutually respectful relationships, non-violent conflict resolution, autonomous and critical thinking, compassion and caring, respect for differences, fairness and so on. This can be done by holding programmes and activities that foster civic engagement and responsibility, critical reflection on social issues and deliberation on values.

You are requested to implement these recommendations and ensure a ragging free campus and create an institutional climate which is supportive and fair, with faculty who are attuned and interested in student development, that will become the foundation of a dynamic culture that is just, progressive and open to change towards an egalitarian society.

With kind regards,

Yours sincerely

(P. K. Thakur)

Encl: As above.

The Vice-Chancellor
Durg Vishwavidyalaya
Government Vasudev Vaman Patankar Girls' PG College Campus,
Raipur Naka,
Durg,
Chhattisgarh.

Street and Edition of the Art Street





Prof. Rajnish Jain Secretary



विस्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Humon Resource Development, Govt. of Indio)

वहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

> Ph.: 011-23236288/23239337 Fax : 011-2323 8858 E-mail : secy.ugc@nic.in

> > 27th June, 2019

Respected Sir/Madam.

D.O. No.1-15/2009 (ARC) pt.III

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC had notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. These regulations are mandatory for all higher educational institutions in the country.

As multiple mechanisms are required to ensure a ragging-free campus, here are some recommendations and action steps which are required to be deployed in your esteemed university and all institutions under your ambit.

A. Basic Measures:

- Constitution of anti-ragging committee, anti-ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
- Mention of anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets /brochures shall be ensured.
- Updating websites of institutions with the complete address and contact details of nodal officers
 related to anti-ragging committee.
- In compliance with the UGC Regulations and its 2rd Amendment regarding submission of undertaking by each student and every parent, an online undertaking in every academic year to be submitted.
- UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following:
 - *3. (i) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.*
- Installing CCTV cameras at vital points.
- B. Counseling and monitoring measures
- Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.
- Surprise inspection at hostels, students accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behaviour/incident shall be undertaken.
- C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus
- 1. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.
- 2. Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed.

Contd...2

D. Using other UGC initiated measures

- Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free) or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in.
- For any other information regarding ragging, please visit the UGC website i.e. www.ugc.ac.in & <a href="www.ugc.a
- UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and UGC has got developed the following entities to promote anti-ragging which are available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.
 - uGC has developed 05 TVCs of 30 seconds each from different perspective i.e. Parents, Victim and Offenders.
 - b. UGC has designed and distributed posters amongst Universities/Regulatory Authorities/Councils/IITs/NITs/Other educational institutions for the prominent display.
 - c. UGC has consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty /general public for the wider awareness of the menace of ragging.

Any violation of UGC Regulations or failure of institution to take adequate steps to prevent ragging in accordance with these Regulations or failure to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, will attract punitive action under the UGC Act.

You are requested to implement the recommendations communicated vide this office letter of even number dated December 27, 2018 and thereby ensure a ragging-free campus, a fundamental requirement for a supportive and fair institutional climate which is open to change, learning and progress.

With personal regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

Sai Mahavidyalaya Bhilai (C.G.)

The Vice-Chancellor of all Universities.



प्रो. रजनीश जैन सचिव

Prof. Rajnish Jain Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **University Grants Commission**

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ती-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

> Ph = 011-23236288/23239337 Fax: 011-2323 8858 E-mail: secy.ugc@nic.in

D.O. No.1-15/2009 (ARC) pt.III

3 0 UEC 2021

23rd December, 2021

Respected Madam/Sir,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the UGC had notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in. These regulations are mandatory for all higher educational institutions in the country.

As multiple mechanisms are required to ensure a ragging-free campus, here are some recommendations and action steps which are required to be deployed in your esteemed university and all institutions under your ambit.

A. Basic Measures:

- 1. Constitution of anti-ragging committee, anti-ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
- 2. Mention of anti-ragging warning in the institution's prospectus and information booklets /brochures shall be ensured.
- 3. To create E-admission booklet or brochure, E-leaflets giving details on guidance in case of ragging to admitted students instead of print/hard copy of your institutions.
- 4. Updating websites of institutions with the complete address and contact details of nodal officers related to anti-ragging committee.
- 5. In compliance with the UGC Regulations and its 2nd Amendment regarding submission of undertaking by each student and every parent, an online undertaking in every academic year to be submitted.
- 6. UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29th June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following:
 - "3. (i) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background."
- 7. Installing CCTV cameras at vital points.

B. Counseling and monitoring measures

- 1. Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.
- 2. Surprise inspection at hostels, students accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus-stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behaviour/incident shall be undertaken.

C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus

1. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.

2. Safety and security apps without affecting the privacy of individuals can be creatively deployed. PRINCIPAL

Sai Mahavidyalaya Bhilai (C.G.)

Scanned with CamScanner

D. Using other UGC initiated measures

- Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free) or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in.
- 2. For UGC website information regarding ragging, please visit the www.ugc.ac.in&www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. AmanSatyaKachroo Trust on mobile No. 09871170303, 09818400116 (only in case of emergency).
- 3. UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and UGC has got developed the following entities to promote anti-ragging which are available on UGC website i.e. www.ugc.ac.in.
 - a. UGC has developed 05 TVCs of 30 seconds each from different perspective i.e. Parents, Victim and Offenders.
 - b. UGC Universities/Regulatory has designed and distributed posters amongst Authorities/Councils/IITs/NITs/Other educational institutions for the prominent display.
 - c. UGC has consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty /general public for the wider awareness of the menace of ragging.

Any violation of UGC Regulations or failure of institution to take adequate steps to prevent ragging in accordance with these Regulations or failure to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, will attract punitive action under the UGC Act.

You are requested to implement the revised procedure for students to file online anti ragging affidavit communicated vide this office letter no. 3-2/2021(ARC) dated 27th October, 2021 and display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti Ragging of your university/college in your website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities etc. to create awareness about the revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit, and also immediately instruct all the colleges under your purview to follow it.

With kind regards,

The Vice-Chancellor of all Universities.

इ. ग. राजपान निमांह 7 जीन 2002.

''विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्गः सी. ओ./रार्वृषुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2002 —वैशाख 14, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

्र रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2002

क्रमांक 573/21-अ/5/21-1-2002.—छत्तांसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखिथ अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-1-2002 को छ.ग. के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छतीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई.एस उदीवेचा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं मेंप्रताइना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2002)

विषय-सूची

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
- 2. परिभाषाएं.
- रेगिंग का पंतिषेध
- 4. दण्ड.
- 5. संज्ञेय अपराघ, गैर जमानतीय.
- 6. अपराधों का विचारण.
- 7. छात्र के निष्कासन के लिए नियोग्यता.

छत्तीसगढ् अधिनियम (क्रमांक ऽ सन् 2002)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं मेंप्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिवेध अधिनियम, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2002)

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के लिए तथा उनके क्रियाकलायों के नियमन एवं तदसम्बन्धी एवं तद्जनित विषयों के प्रावधान हेत् अधिनियम.

भारत के गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :

- (1) इस अधिनियम का संक्षित नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताइना (रैगिंग) का प्रतिषेप अधिनियम, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2002) है.
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा.
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जो राज्य साकार अधिसूचना द्वारा नियत करे:
- 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

परिभाषाएं.

- (क) 'रैगिंग''से अभिप्रेत है किसा छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, विससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या उसे अभित्रास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या सति, या उस ए आपर्याधिक बल के प्रवोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, स्वति या आपराधिक बल प्रवोग कर अभित्रास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता
- (ত্র) "शैक्षणिक संस्था" में शासकीय, स्वशासी एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं शामिल है.
- 3. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः न तो रैगिंग करेगा और न ही उसमें भाग

रेगिंग का प्रतिबेध.

4. यदि कोई व्यक्ति घारा 3 के उपवन्धों का उल्लंधन करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या बुमीने से जो 5000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा

KAI

इस अधिनियम के संज्ञान किये जाने योग्य प्रत्येक अपराध संज्ञेय व गैर जमानतीय होगा.

संशेष अपराध, गैर जमानतीय.

6. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी . द्वारा किया जायेगा. अपरायों का विचारण.

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, बांच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक-2 सन् 1974) करें उपबन्ध लागू होंगे.

- (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था का प्रधान इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित, तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावासी में प्रवेश से वर्जित कर सकेगा.
- (2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो इस अधिनियम के अधीन विद्व दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन का भागी होगा.
- (3) ऐसे छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, को किसी भी शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

हात्र के निष्कासन के ति निर्वोग्यवा



संलग्न - 1

| | छात्र/छ। | A CONTRACTOR OF STREET | (संस्थाकानाम) | **** | ***** |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| म्ी त्र/पुत्री/श्री /श्रीमती | में प्रवेश प्राप्त कर | चुका/चुकी हूं। मैने उच | न शिक्षण संस्थानों में रेगिंग | के अपराध को समाप्त व | इस्ते व |
| तए यू. जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त नि विशेषत नियमों की केडिका-32 क नि कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का ट्रेरेती हूँ अथवा प्रत्यब/अप्रत्यस्र रूप र में सत्य निष्ठा से संकल्प लेत | त की, उसको सावधाना पूर्वक 1 अघ्ययन किया और रैगिंग कि भी विशेष अध्ययन किया और से सहयोग करता/ करती हूँ या 11 /लेती हूँ कि – 17 /करूँगी जोकि कंडिका-3 के | स प्रकार की होती है , के में प्रशासकीय कार्यवाही यह यंत्र करता /करती हैं र नियम के अंतर्गत रेगिंग | प्रति सजग हुआ /हुई। से अवगत हूँ जिसके अंत तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो स की श्रेणी में आता हो - | र्गत यदि मैं रेगिंग को बढ़ाव किती है । | ग्र देत |
| (अ) में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा (ब) में ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभाग मैं सत्य निष्ठा से वचन देता /देती हूँ कि | नहीं बर्नूया/बर्न्गी जो कंडिक | ⊢3 रेगिंग के अंतर्गत अप — — की हैं जो भी विकट | राध का बढ़ाना ५०१ छ। उन्त नियमों की कंडिका ५ |).1 के अंवर्गत बिना किसी | पूर्व |
| * राजा किया से बचन देता /देती हैं वि | ज्याद्म राग्य मालका नाना ना | (d) - 11 11 E | | · | |
| ्राणिक कार्यवाही के अपराधिक काय | वाहा का जा सकता है। | | A A A PARTY THE | न ही रोगग जस अपध्य | e wn |
| म सत्य (निर्कार) न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यः मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की | किसी भी संस्था से ना वो निक | ाला गया और न ही प्रवर | क लिय माजत मध्या गर | ण असत्य पाई बाती है तो | मेग |
| मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की बढ़ावा देने सहायता करने या घढ़यंत्र | में अपराधी पाया गया/गई हैं। है | अच्छी तरह जानता/जा | नता हूं कि याद मण य यान | | |
| able de | | | | | |
| | , | | | | |
| के किया जा सकता है। | , | | | | |
| — किया का अकता है। | , | | | | |
| — किया का अकता है। | , | | | | |
| | , | | | िके हस्ताम्बर | |
| | , | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | माह पर्ष | | | | |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । घोषणा की दिनांक | माह चर्ष | | श्रुपयकत | िक हस्तास्वर | : : |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । घोषणा की दिनांक | माह चर्ष | | श्रुपयकत | िक हस्तास्वर | : : |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । घोषणा की दिनांक में सत्यापित करता/करती हैं | माहघर्ष चर्ष कि ठक्त शपय पत्र में ठरिस्टिंप | सत्यापन इत सभी तथ्य मेरी नानव | शपयकत नाम जी में सत्य है और कोई भी | िक हस्तास्वर | : : |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । घोषणा की दिनांक में सत्यापित करता/करती हैं | माहघर्ष चर्ष कि ठक्त शपय पत्र में ठरिस्टिंप | सत्यापन इत सभी तथ्य मेरी नानव | शपयकत नाम जी में सत्य है और कोई भी | िक हस्तास्वर | : : |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । घोषणा की दिनांक मैं सत्यापित करता/करती हैं | माहघर्ष चर्ष कि ठक्त शपय पत्र में ठरिस्टिंप | सत्यापन इत सभी तथ्य मेरी नानव | शप्यकत नाम जि.में सत्य है और कोई भी बर्ष | िके हस्ताबर तथ्य असत्य नहीं है तब्ब | : : |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । घोषणा की दिनांक में सत्यापित करता/करती हैं | माहघर्ष चर्ष कि ठक्त शपय पत्र में ठरिस्टिंप | सत्यापन इत सभी तथ्य मेरी नानव | शप्यकत नाम जि.में सत्य है और कोई भी वर्ष | िक हस्तास्वर | : : |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । घोषणा की दिनांक मैं सत्यापित करता/करती हैं | माहघर्ष चर्ष कि ठक्त शपय पत्र में ठरिस्टिंप | सत्यापन इत सभी तथ्य मेरी नानव | शप्यकत नाम जि.में सत्य है और कोई भी वर्ष | िके हस्ताबर तथ्य असत्य नहीं है तब्ब | : : |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । भोषणा की दिनांक मैं सत्यापित करता/करती हैं भी छिपाया नहीं गया है । सत्यापन का (स्थान) | ्माहघर्ष कि उक्त शपथ पत्र में उस्लिहि (दिन) | सत्यापन इत सभी तथ्य मेरी नानन (माह) | शपयकत नाम जरी में सत्य है और कोई भी शपयक | िके हस्ताखर तथ्य असत्य नहीं है तथा तों के हस्ताखर | 4 |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। भोषणा की दिनांक मैं सत्यापित करता/करती हैं भी छिपाया नहीं गया है। सत्यापन का (स्थान) | ्माहघर्ष कि उक्त शपथ पत्र में उस्लिहि (दिन) | सत्यापन इत सभी तथ्य मेरी नानन (माह) | शपयकत नाम जरी में सत्य है और कोई भी शपयक | िके हस्ताखर तथ्य असत्य नहीं है तथा तों के हस्ताखर | 4 |
| प्रवेश निरस्त किया जा सकता है । घोषणा की दिनांक मैं सत्यापित करता/करती हैं भी छिपाया नहीं गया है । सत्यापन का (स्थान) | ्माहघर्ष कि उक्त शपथ पत्र में उस्लिहि (दिन) | सत्यापन इत सभी तथ्य मेरी नानन (माह) | शपयकत नाम जरी में सत्य है और कोई भी शपयक | िके हस्ताखर तथ्य असत्य नहीं है तथा तों के हस्ताखर | 4 |

संलग्न - 2 माता-पिता / अभिभावक का शपथ पत्र

| पं नी ही हो मिता है है हि से प्राप्त का प्यापन कर है है है से से अस्पाप के अस्पाप के कार में स्वयं के जान व विस्वास के अनुसार सत्व है और स्वयं के अस्पाप कर से स्वयं के अस्पाप के स्वयं के अस्पाप कर से स्वयं के अस्पाप के से से अस्पाप के अस्पाप के से से अस्पाप के अस्पाप के अस्पाप के से अस्पाप के अस्पाप के अस्पाप के से से से अस्पाप के अस्पाप के से से से अस्पाप के अस्पाप के अस्पाप के से से से अस्पाप के से से से अस्पाप के से से से से से अस्पाप के से | ערור ט |
|---|----------|
| में प्रवेश हे चुका है, पुष्टि करता है कि मुन्ने ऐगिंग अपराय को समान करता है कि मुन्ने ऐगिंग अपराय के समान है में में स्वित्त कर करता है कि मुन्ने भें सान में अवस्त है कि मुन्ने भें प्रवास में सान करता है कि में प्रवास में सान करता है कि में प्रवास में | महित) |
| में प्रयोश है चुका है, पुष्टि करता है कि मुद्रे ऐगंग अपराप को समा- त यु.जी.सी. की नियमाजली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा। मैंने क्षितीपतः नियमों की किंडिका - 3 का अध्ययन किया और ऐगंग क्या है से अवगत हुआ। मैंने उन्नत नियमों की केंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत है कि यदि मेंग पुत्रपुत्रों के बढ़ावा देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासनिक कार्यवाही को बढ़ावा देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासनिक कार्यवाही स्वाधी है। 4. मैं सत्यनिया से संकर्प से तो हैं कि - मेंग पुत्रपुत्री किसी भी प्रकार के पीगा अपराध में समिमितत नहीं होगा जो कि कींडिका - 3 के अंतर्गत आता है। को प्राप्त प्रत्याचिक कार्य में प्रत्यभागी नहीं बनेगा तो कींडिका - 3 के अंतर्गत ऐगि असराध को बेगों में अता हो। 5. मैं सत्यनिया किसी पूर्व न्याधिक कार्यवाही के सजा हो सकती है। 6. मैं घोत्रणा करता है कि मेंग पुत्रपुत्री पैगंग के अमराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही संवीयत किया गया। घोषणा को दिनांक | - TIE ' |
| में प्रयोश है चुका है, पुष्टि करता है कि मुद्रे ऐगंग अपराप को समा- त यु.जी.सी. की नियमाजली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा। मैंने क्षितीपतः नियमों की किंडिका - 3 का अध्ययन किया और ऐगंग क्या है से अवगत हुआ। मैंने उन्नत नियमों की केंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत है कि यदि मेंग पुत्रपुत्रों के बढ़ावा देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासनिक कार्यवाही को बढ़ावा देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासनिक कार्यवाही स्वाधी है। 4. मैं सत्यनिया से संकर्प से तो हैं कि - मेंग पुत्रपुत्री किसी भी प्रकार के पीगा अपराध में समिमितत नहीं होगा जो कि कींडिका - 3 के अंतर्गत आता है। को प्राप्त प्रत्याचिक कार्य में प्रत्यभागी नहीं बनेगा तो कींडिका - 3 के अंतर्गत ऐगि असराध को बेगों में अता हो। 5. मैं सत्यनिया किसी पूर्व न्याधिक कार्यवाही के सजा हो सकती है। 6. मैं घोत्रणा करता है कि मेंग पुत्रपुत्री पैगंग के अमराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही संवीयत किया गया। घोषणा को दिनांक | להור |
| तु यू.जी.सी. की नियमाबली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीयूर्वक पद्म आर पूण्यः सन्तर्भा । मैंने सिरोपतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और पैगिंग क्या है से अवगत हुआ । मैंने उन्तर नियमों की कंडिका - 7 और 9.1 का किरोव अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत है कि यरि मेंग्र पुरंपुरंप के बढ़ाला देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासनिक कार्यवाही के बढ़ाला देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासनिक कार्यवाही से साया निया प्रित्य प्रत्या की के अतार्यत आता है । 4. मैं साया निया से प्रियंत करता है कि चरि मेग्र पुत्रपुत्रो पेगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद उन्तर नियमों की वे सायानिक को अंतर्यत मिंगा किसी भी ऐसे कार्य में सायानिक कार्यवाही के सजा हो सकती है । 5. मैं पायाणा करता है कि मेग्र पुत्रपुत्री पेगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न वो निष्कासित किया गया न ही से वीचत किया गया । से वीचत किया गया । घोषणा करता है कि उनत शपय पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के जान व विरवास के अनुसार सत्य है और स्वयं ना सार्यापन का (स्थान) | प्त करने |
| तु यू.जी.सी. की नियमाबली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीयूर्वक पद्म आर पूण्यः सन्तर्भा । मैंने सिरोपतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और पैगिंग क्या है से अवगत हुआ । मैंने उन्तर नियमों की कंडिका - 7 और 9.1 का किरोव अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत है कि यरि मेंग्र पुरंपुरंप के बढ़ाला देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासनिक कार्यवाही के बढ़ाला देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासनिक कार्यवाही से साया निया प्रित्य प्रत्या की के अतार्यत आता है । 4. मैं साया निया से प्रियंत करता है कि चरि मेग्र पुत्रपुत्रो पेगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद उन्तर नियमों की वे सायानिक को अंतर्यत मिंगा किसी भी ऐसे कार्य में सायानिक कार्यवाही के सजा हो सकती है । 5. मैं पायाणा करता है कि मेग्र पुत्रपुत्री पेगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न वो निष्कासित किया गया न ही से वीचत किया गया । से वीचत किया गया । घोषणा करता है कि उनत शपय पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के जान व विरवास के अनुसार सत्य है और स्वयं ना सार्यापन का (स्थान) | |
| मैंने विस्तेषतः नियमों को कोडका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत है कि यार पर पुरान्त के कार्यवादों को बढ़ाला देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासिनक कार्यवादों संकता है। 4. मैं सत्य निर्धा से संकत्य सेता हैं कि - 4. मैं सत्य निर्धा से संकत्य सेता हैं कि - 4. मैं सत्य निर्धा से संकत्य सेता हैं कि - 4. मैं सत्य निर्धा से संकत्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो केडिका - 3 के अंतर्गत आता है। 4. में पाया प्रशासिन कर्ता में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो केडिका - 3 के अंतर्गत अगत है। 4. में पार्व कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो केडिका - 3 के अंतर्गत अगत है। 5. मैं सत्य निर्धा पूर्व न्यायिक कार्यवाहों के सजा हो सकती है। 6. में पोषणा करता है कि मेर पुत्र पुत्री पीगन के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही से लोचत किया गया । 1 पार्व कार्य मेर स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और स्वर्थ कार्य कार्य के स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और स्वर्थ कार्य कार्य कार्य के स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और स्वर्थ कार्य कार्य के स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और सत्यापन कार्य स्थान कार्य के बिर्म कार्य के बिर्म कार्य के हराम के अनुसार सत्य है और सत्यापन कार्य स्थान कार्य के बिर्म कार्य कार्य के बर्म कार्य कार्य के हराम के अनुसार सत्य है और सत्यापन कार्य स्थान कार्य के बर्म कार्य कार्य के बराम कार्य कार्य के बराम कार्य क | |
| मैंने वस्तीपता का कोडका - 3 जीर 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत है कि यार पर पुरास्त के कार्यवादी की वहादा देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासिक कार्यवादी को वहादा देने में प्रत्यख या अप्रत्यख रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद प्रशासिक कार्यवादी सकती है। 4. मैं सत्य निर्धा से संकट्य सेता है कि - 4. मैं सत्य निर्धा से प्रकार के पीगा अपराध में सम्मालित नहीं होगा जो कि कंडिका - 3 के अंतर्गत आता है। 4. में सत्य निर्धा भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका - 3 के अंतर्गत आता है। 4. में सत्य निर्धा भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका - 3 के अंतर्गत अगता है। 5. मैं सत्य निर्धा पूर्ण न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है। 6. मैं घोषणा करता है कि मेरा पुत्र पुत्री चिंगा के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही से वॉचन किया गया। 1 घोषणा करता है कि मेरा पुत्र पुत्री चिंगा के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही से वॉचन किया गया। 1 घोषणा करता है कि उसत शपथ पत्र में उत्तितिखत सभी तथ्य मेरे स्वर्थ के जान व विश्वास के अनुसार सत्य है और सत्यापन का (स्थान) 1 सत्यापन का (स्थान) 1 सत्यापन का (स्थान) 1 सत्यापन का (स्थान) 1 के उत्तिशायत नियानों का अध्ययन कर (दिन) 1 का स्थान कर्य से साह भी स्थान कर्य मेरा स्थान कर्य स्थान कर (दिन) 1 करायान कर्य से उत्तिवाद नियानों का अध्ययन कर (दिन) 1 करायान कर्य से साह से से स्थान कर्य से स्थान कर्य स्थान कर से स्थान कर्य से साह से से से से से से से साह से से से से से से से से साह से से से से साह से | A Affin |
| 3. मैंने कल नियमों की केडिका 7 आर 9.1 का लिस करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाहा को बढ़ाला देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाहा सकती है। 4. मैं सत्य निर्धा से संकरप लेती हैं कि- 1 में प्रमुत्र पुत्री किसी भी प्रकार के पैंगन अपराध में सिम्मलित नहीं होगा जो केडिका - 3 के अंतर्गत भाग की बें जो में आता हो। 1 में प्रमुत्र पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा वो कंडिका - 3 के अंतर्गत पिंग अपराध की ब्रेणी में आता हो। 2. मैं सत्यिन्छ से बचन देता हूँ कि यदि में प्रमुत्र पुत्री पैंगि अपराध में लिन्द प्रया जाता है तो उसके विरूद्ध उन्त नियमों की बें 9.1 के अंतर्गत मिना किसी पूर्व न्याधिक कार्यवाही के सजा हो सकती है। 3. मैं पोषणा करता हूँ कि में प्रमुत्र पुत्री पैंगिन के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही सं वीचल किया गया। 1 घोषणा की दिनांक | II Cala |
| को बड़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स संग्रम्भ स्मित्ती है । 4. मैं सत्य निरुत्त से संकर्त्य लेता है कि - 4. में प्रपृत्र/पृत्री किसी भी प्रकार के पींगा अपराध में सम्मिलित नहीं हो गा जो कि कंडिका - 3 के अंतर्गत आता है । 4. में प्रपृत्र/पृत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका - 3 के अंतर्गत पिंगा अपराध की क्षेणी में आता हो । 5. में सत्यांनरत से चवन देता है कि यदि मेंग्र पुत्र/पृत्री ऐंगा अपराध में लिन्द प्रया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की वं 9.1 के अंतर्गत विमा किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाहों के सजा हो सकती है । 6. में घोषणा करता है कि मेंग्र पुत्र/पृत्री ऐगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही से विचित्र किया गया । घोषणा की दिनांक (माह) चर्च प्रतिन्यामित करता/करती है कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और अरायन का (स्थान) (दिन) (माह) वर्ष स्थान का (स्थान) वर्ष स्थान का (स्थान) का स्थान का अरायन कर (दिन) (माह) वर्ष स्थान कर्म क्षेर्य उपस्थित में शाय-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) (माह) वर्ष स्थान कर्म स्थान कर स्थान कर्म स्थान स्थान कर्म स्थान कर्म स्थान कर्म स्थान स्थान कर्म स्थान स् | की ज |
| सकती है । मैं सत्य निरंत से संकट्य लेता है कि - में पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के पींगा अपराध में सिम्मलित नहीं होगा जो कि कैंडिका - 3 के अंतर्गत आता है । में पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रीतभागी नहीं बनेगा तो कैंडिका - 3 के अंतर्गत पिंगा असराध की ब्रेणी में आता हो । में सत्यिन्त से चवन देता हूँ कि यिए मेरा पुत्र/पुत्री पिंगा असराध में लिख प्रया जाता है तो उसके विरुद्ध ठवत नियमों की वं 9.1 के अंतर्गत विशा किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाहों के सजा हो सकती है । में घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री पैगिन के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निकासित किया गया न हो सं वॉचन किया गया । घोषणा को दिनांक (माह) मत्यापन मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखत सभी तच्य मेरे स्वयं के जान व विश्वास के अनुसार सत्य है और सत्यापन का (स्थान) सत्यापन वर्ष सत्यापन वर्ष सर्यानका (स्थान) मेरी उपस्थित में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) मेरी उपस्थित में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) कर्ष जां की कर्ष जां कर्ष जां क्रिया कर्ष जां कर्य जां कर्ष जां कर्प जां कर्ष जां कर्य जां कर्य जां कर्य जां कर्ष जां कर्ष जां कर्य जां | |
| सकती है । 4. मैं सत्य निरुत्त से संकर्त्य लेता है कि - 4. मैं सत्य निरुत्त से संकर्त्य लेता है कि - 4. में पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के पैरंग अपराध में सिम्मलित नहीं होगा जो कि कैंडिका - 3 के अंतर्गत थेंग अपराध की ब्रेणी में आता हो । 4. में पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में ग्रंतिभागी नहीं बनेगा तो कैंडिका - 3 के अंतर्गत थेंग असराध की बिरूद करत नियमों की वें में सत्यिन्त से चचन देता हैं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री पैगिंग अपराध में लिख प्रया जाता है तो उसके विरूद ठवत नियमों की वं 9.1 के अंतर्गत विश्वा पूर्व न्यायिक कार्यचाह के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न हो से चोंचन किया गया । के में घोषणा करता है कि मेरा पुत्र/पुत्री पैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न हो से चोंचन किया गया । घोषणा को दिनांक पत्र प्रयापकती के कारण पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के जान व विश्वास के अनुसार सत्य है और मित्रायानहीं गया है । सत्यापन में सत्यापन का (स्थान) (दिन) (पान) वर्ष प्रयापन का (स्थान) वर्ष प्रयापन का स्थान मेरे उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) (माह) वर्ष प्रयापकती के हस्ता को अध्ययन कर (दिन) वर्ष प्राप्त का वर्ष प्रयापन का स्थान का स्थान का से उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) (माह) वर्ष प्राप्त का मेरे उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) पान) | |
| मैं सत्य निरंता से संकर्त्य लेता हूँ कि भेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के पींग अपराध में सम्मिलित नहीं हो या जो कि कि कि कि जो में या पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कि किना 3 के अंतर्गत पींग अपराध की ब्रेणी में आता हो । मैं सत्यनिरंता से बचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री पैंगिन अपराध में लिख पाया जाता है तो उसके विरूद ब्लंद नियमों की वं 9.1 के अंतर्गत मिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाहों के सजा हो सकती है । मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री पैंगिन के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निकासित किया गया न ही सं विचल किया गया । प्राप्त किया गया । प्राप्त किया गया । पत्र क्या कि किया मेरा कि अनुसार सत्य है और प्राप्त का (स्थान) | |
| (अ) में पुत्र पुत्री किसी भी प्रकार के रिग्न अपराध में सम्भालत कहा है। में पुत्र पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रिंत भागे तो के डिका-3 के अंतर्गत रिग्न असराध की ब्रेगों में अतराध है। 5. मैं सत्यिन्छ से बचन देता हैं कि यदि मेरा पुत्र पुत्री रिग्न अपराध में तिन्द पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उन्तर नियमों की वं 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाहों के सज़ा हो सकती है। 6. मैं घोषणा करता है कि मेरा पुत्र पुत्री रिग्न के अमराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही संबंचित किया गया । घोषणा की दिनांक (माह) वर्ष प्राप्त करता कि सत्यापन में सत्यापन करता है कि उन्तर शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और जिल्लिखत सभी तथ्य मेरे स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और अरायन का (स्थान) (दिन) (दिन) (माह) वर्ष प्राप्त करता के अरायन कर रित्र (स्थान) कर्य स्थान मेरे उल्लिखत सभी तथ्य मेरे स्वर्थ के ज्ञान व विश्वास के अराय स्थान मेरे उपस्थित मेरे अरायन कर रित्र (स्थान) वर्ष प्राप्त करता के इस्ता कर स्थान कर रित्र (स्थान) वर्ष स्थान कर रित्र (स्थान) कर्य स्थान कर रित्र (स्थान) कर्य स्थान कर रित्र (स्थान कर स्थान कर रित्र (स्थान) कर्य से उल्लिखत नियमों का अध्ययन कर रित्र (स्थान) वर्ष माहि स्थान कर्य से उल्लिखत नियमों का अध्ययन कर रित्र (स्थान) स्थान कर स्थान कर्य से उल्लिखत नियमों का अध्ययन कर रित्र (स्थान) स्थान कर स्थान कर्य स्थान कर रित्र (स्थान) कर स्थान कर रित्र स्थान स्थान कर रित्र स्थान स्थान कर रित्र स्थान स् | |
| (ब) मेरापुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभाग गराव गराव प्रति प्रया बाता है तो उसके विरुद्ध उन्ते नियम कार्य निर्मा कार्य में सिर्मित प्रया बाता है तो उसके विरुद्ध उन्ते नियम कार्य निर्मा कार्य निर्मा कार्य निर्मा कार्य निर्मा कार्य निर्मा कार्य निर्मा कार्य प्रति के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही से विचित्र किया गया । वर्ष व्यापन कार्य दिनांक (माह) वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के बात बात कार्य | |
| (ब) मेरापुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभाग निल्ल मेरा पुत्र/पुत्री पैरिंग असराध में लिख पाया जाता है तो उसके विरुद्ध करते नियम कार्य निर्मा करती है। 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है। 6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री पैरिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही सं विचत किया गया। घोषणा की दिनोंक (माह) वर्ष श्राप्यकर्ता के हस्ताबर नाम पता | |
| 5. मैं सत्यिन्द्रा से बचन देता है कि यो पुत्र पुत्र कार्यवाही के सजा हो सकती है। 6. मैं घोषणा करता है कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही से चोंचत किया गया । घोषणा की दिनांक (माह) पता पता पता में सत्यापन मैं सत्यापन मैं सत्यापन मैं सत्यापन करता/करती है कि उक्त शपथ पत्र में उत्तिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और जियायानहीं गया है । सत्यापन (स्थान) पता मत्यापन करता/करती के हस्ता करता/करती के अपराय पत्र में उत्तिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और अपराय करता/करती के हस्ता कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म | PIECH |
| 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायक कार्यपाय के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न के से प्रोप्तणा करता हूँ कि मेय पुत्र/पुत्री रैगिंग के अमराघ के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न के से विच्या किया गया । घोषणा की दिनांक | |
| 6. में घोषणा करता हैं कि मेरा पुत्र/पुत्री रोगन के अभवप कर क्षिण कर्म से लियत किया गया। घोषणा की दिनांक |) प्रवेश |
| 6. मैं घोषणा करता हैं कि मेरा पुत्र/पुत्री रोगन के अभवप कर स्वाय कर्म से विच्य किया गया। घोषणा की दिनांक | 12. |
| से बॉयत किया गया । शोषणा की दिनांक | |
| घोषणा की दिनांक | |
| म्त्राप्यकर्तां के हस्ताव्य नाम | -,1 |
| नाग | |
| सत्यापन में सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तच्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और डिजायानहीं गया है। सत्यापन का (स्थान) | |
| सत्यापन में सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तच्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और डिजायानहीं गया है। सत्यापन का (स्थान) | . ^ |
| सत्यापन में सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तच्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और डिजायानहीं गया है। सत्यापन का (स्थान) | |
| सत्यापन मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तच्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और डिजायानहीं गया है। सत्यापन का (स्थान) | |
| में सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तच्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है अर डिगायानहीं गया है। सत्यानन का (स्थान) | |
| में सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तच्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है अर डिगायानहीं गया है। सत्यानन का (स्थान) | |
| डिपाया नहीं गया है । सत्यापन का (स्थान) | कुछ न |
| डिपाया नहीं गया है । सत्यानन का (स्थान) | |
| सत्यानन का (स्थान) | |
| सत्यानन का (स्थान) | |
| मेरी उपस्थित में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) (माह) वर्ष वर्ष | |
| मेरी उपस्थित में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) (माह) वर्ष को आह्यक स्वीकृति दी गई। | |
| मेरी उपस्थित में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) | इस्ताव |
| मेरी उपास्यात म शाप्य-पत्र न अ००० आह्मक स्वीकृति दी गई। | |
| अस्तिक स्वीकृति दी गई । | Α. |
| THE STATE OF THE S | |
| श्राच आयुक्त | |
| 4174 44274 | |
| The state of the s | У |



SAI COLLEGE

(SAI MAHAVIDYALAYA)

Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg & Under Section 2 (f) of the UGC Act

Date:

IMPLEMENTATION OF GUIDELINES OF STATUTORY / REGULATORY BODIES

FOR COMPLAINTS REGARDING SEXUAL HARASSMENT & MOLESTATION

Internal Complaint Redressal Committee in the college works under Grievance Redressal Cell and looks after any complaint received related to SEXUAL HARASSMENT AND MOLESTATION for both female and male students and staff. The Committee works on zero tolerance on any such complaints and strictly follows the guidelines of Vishakha Committee and rules and regulation framed by other statutory bodies.. Committee conducts regular meetings and students have also been involved in the structure of the committee.

Vishaka Guidelines against

Sexual Harassment at Workplace

Guidelines and norms laid down by the Hon'ble Supreme Court in Vishaka and Others Vs. State of Rajasthan and Others(JT 1997 (7) SC 384)

HAVING REGARD to the definition of 'human rights' in Section 2 (d) of the Protection of Human Rights Act, 1993,

TAKING NOTE of the fact that the present civil and penal laws in India do not adequately provide for specific protection of women from sexual harassment in work places and that enactment of such legislation will take considerable time,

It is necessary and expedient for employers in work places as well as other responsible persons or institutions to observe certain guidelines to ensure the prevention of sexual harassment of women.

Duty of the Employer or other responsible persons in work places and other institutions

It shall be the duty of the employer or other responsible persons in work places or other institutions to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedures for the resolution, settlement or prosecution of acts, of sexual harassment by taking all steps required.

Definition

For this purpose, sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as:

- a) Physical contact and advances;
- b) A demand or request for sexual favours:
- c) Sexually coloured remarks;
- d) Showing pornography;
- e) Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature

Where any of these acts is committed in circumstances where-under the victim of such conduct has a reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work whether she is drawing salary, or honorarium or voluntary, whether in government, public or private enterprise such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem. It is discriminatory for instance when the woman has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment or work including recruiting or promotion or when it creates a hostile work environment. Adverse consequences might be visited if the victim does not consent to the conduct in question or raises any objection thereto.

Preventive Steps

All employers or persons in charge of work place whether in public or private sector should take appropriate steps to prevent sexual harassment. Without prejudice to the generality of this obligation they should take the following steps:

- A. Express prohibition of sexual harassment as defined above at the work place should be notified, published and circulated in appropriate ways.
- B. The Rules/Regulations of Government and Public Sector bodies relating to conduct and discipline should include rules/regulations prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties in such rules against the offender.
- C. As regards private employers, steps should be taken to include the aforesaid prohibitions in the standing orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
- D. Appropriate work conditions should be provided in respect of work, leisure, health and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards women at work places and no employee woman should have reasonable grounds to believe that she is disadvantaged in connection with her employment.

PRINCIPAL

Criminal Proceedings

Where such conduct amounts to a specific offence under the Indian Penal Code or under any other law, the employer shall initiate appropriate action in accordance with law by making a complaint with the appropriate authority.

In particular, it should ensure that victims or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment. The victims of sexual harassment should have the option to seek transfer of the perpetrator or their own transfer.

Disciplinary Action

Where such conduct amounts to misconduct in employment as defined by the relevant service rules, appropriate disciplinary action should be initiated by the employer in accordance with those rules.

Complaint Mechanism

Whether or not such conduct constitutes an offence under law or a breach of the service rules, an appropriate complaint mechanism should be created in the employer's organisation for redress of the complaint made by the victim. Such complaint mechanism should ensure time bound treatment of complaints.

Complaints Committee

The complaint mechanism, referred to above, should be adequate to provide, where necessary, a Complaints Committee, a special counsellor or other support service, including the maintenance of confidentiality.

The Complaints Committee should be headed by a woman and not less than half of its member should be women. Further, to prevent the possibility of any undue pressure or influence from senior levels, such Complaints Committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment.

The Complaints Committee must make an annual report to the Government department concerned of the complaints and action taken by them.

PRINCIPAL Sai Mahavidyalaya

Bhilai (C.G.)

The employers and person in charge will also report on the compliance with the aforesaid guidelines including on the reports of the Complaints Committee to the Government department.

Worker's Initiative

Employees should be allowed to raise issues of sexual harassment at a workers' meeting and in other appropriate forum and it should be affirmatively discussed in Employer-Employee Meetings.

Awareness

Awareness of the rights of female employees in this regard should be created in particular by prominently notifying the guidelines (and appropriate legislation when enacted on the subject) in a suitable manner.

Third Party Harassment

Where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, the employer and person in charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action.


The Central/State Governments are requested to consider adopting suitable measures including legislation to ensure that the guidelines laid down by this order are also observed by the employers in Private Sector.

These guidelines will not prejudice any rights available under the Protection of Human Rights Act, 1993.

MECHANISM OF COMPLAINT

An Aggrieved student or staff who intends to file a complaint is required to submit two copies of the written complaint along with the supporting documents with the names and address of the witness to the internal complaint redressal committee within 3 months from the date of the incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the last incident. The committee on its discretion can extend the timeline by a further period of three months for filing the complaints and record the reasons thereof. The law also has provisions for friends, relatives, coworkers etc to file the complaint in situations where the aggrieved student or staff is unable to make the complaint on account of physical or mental incapacity.

REDRESSAL PROCESS





OFFLINEGRIEVANCESUBMISSION

Grievance can be submitted offline through

- SUGGESTION / COMPLAINT BOX
- Grievance Register







ONLINE STUDENT GRIEVANCE FORM LINK

https://www.saicollege.org/College.aspx?PageName=Students%20Grievance

